न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या 38/2013 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. श्री रूपलाल पुत्र गंगाराम कुमावत मालिक/विक्रेता फर्म – मैसर्स कुमावत ब्रदर्स, गांधी बाजार, आसीन्द जिला भीलवाडा , स्थाई पता – ग्राम नई पडासोली, पोस्ट पडासोली, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्री अशोक कुमार पुत्र डालचन्द मेवाडा मालिक मैसर्स – शिव मेवाड़ा ट्रेडर्स , ब्यावर रोड़, चूंगी नाका, आसीन्द , स्थाई पता – ब्यावर रोड, चूंगी नाका, आसीन्द
3. श्री विनय कुमार पुत्र त्रिलोक चन्द मालिक मैसर्स – विनायक मार्केटिंग , 3 एम.पी. छाजेड़ मार्केट, ब्यावर , स्थाई पता – 98 मालियाना हताई श्रंगार चंवरी, वार्ड नम्बर 13, ब्यावर जिला भीलवाडा
4. श्री संतोष कुमार पुत्र काली कुमार झां नोमिनी मैसर्स – Gujrat Co – operative Milk Marketing Federation Limited, (Udaipur Dipo) Plot No. 5-6, Roshan ji ki Bari, Sant Treasa School Road , Sector No. 12, Udaipur – 301002 , स्थाई पता – Professor Colony, Power House Road, Begusarai (BR)
5. मैसर्स – Gujrat Co – operative Milk Marketing Federation Limited, (Udaipur Dipo) Plot No. 5-6, Roshan ji ki Bari, Sant Treasa School Road , Sector No. 12, Udaipur – 301002
6. नरेश कुमार पुत्र चन्दू लाल शाह नोमिनी मैसर्स M/s Mother Dairy, (A Unit of Gujrat Co – operative Milk Marketing Federation Limited) Plot No. 35, Near Indira Bridge, Village Bhat, Dist. Gandhinagar – 382428 स्थाई पता – A/202, Abhishek Apartment Nava Vadaj, Ahamedabad 380013
7. फर्म – M/s Mother Dairy, (A Unit of Gujrat Co – operative Milk Marketing Federation Limited) Plot No. 35, Near Indira Bridge, Village Bhat, Dist. Gandhinagar – 382428

– प्रार्थी

––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित
2 श्री नरेश डाड अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से
3 श्री संजय सेन अधिवक्ता – विपक्षी सं. 03 से लगायत 07 की ओर से
4 विपक्षी सं. 02 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

आदेश

दिनांक 28.12.2017

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी श्री रूपलाल पुत्र गंगाराम कुमावत मालिक/विकेता फर्म – मैसर्स कुमावत ब्रदर्स, गांधी बाजार, आसीन्द जिला भीलवाडा , स्थाई पता – ग्राम नई पडासोली, पोस्ट पडासोली, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु घी, दालें, तेल, नमक इत्यादि का विकय कर रहा था । मैसर्स कुमावत ब्रदर्स, गांधी बाजार, आसीन्द जिला भीलवाडा, का विकेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् घी (ब्राण्ड अमूल) के एक एक लीटर के 5 पैक्ड पैकेट रखे हुये थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Brand Amul, Agmark No. A/1-003115, Net Qty. 1000ml, pkd. – 03/01/2013, Batch No. GAT0031, BEST BEFORE 09 MONTHS FROM PACKING, Mfg. By MOTHER DAIRY, (A UNIT OF GCMMF LTD), PO BHAT 382428, INDIA, MARKETED BY: GUJRAT CO – OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LTD, ANAND 388001, INDIA अंकित था । मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 ए की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत् लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.03.2013 को समय 01.40 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु मैसर्स कुमावत ब्रदर्स, गांधी बाजार, आसीन्द जिला भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया । उस समय दुकान पर खाद्य विकेता/मैनेजर की हैसियत श्री रूपलाल पुत्र गंगाराम कुमावत मालिक/विक्रेता फर्म – मैसर्स कुमावत ब्रदर्स, गांधी बाजार, आसीन्द जिला भीलवाडा, स्थाई पता – ग्राम नई पडासोली, पोस्ट पडासोली, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु घी (ब्राण्ड अमूल) इत्यादि का विक्रय कर रहा था। विकेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई। विकेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना बताया एवं उसके द्वारा शीघ्र आवेदन कर प्रस्तुत करने बाबत् कहा गया ।

मौके पर गवाह एवं विकेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड अमूल) के बैच सं. GAT0031 के 4 पैकेट पैक्ड हालत में खाद्य कारोबारकर्ता से नमूना वास्ते जाँच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत 1280/– रूपये अक्षरे एक हजार दौ सौ अस्सी रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा 4 पैक्ड पैकेटों को गवाहों एवं विकेता के सामने चार लेबल नियमानुसार भरकर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–460 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–460 जो अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा हस्ताक्षरित थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मैनेजर श्री रूपलाल पुत्र गंगाराम कुमावत के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये । सभी कार्यवाही गवाहों व विकेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर फर्द पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाह की उपस्थिति में विकेता को लिए गये नमूने के IV Part की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी।

खाद्य नमूना सं. एक्स 460 के एक सीलबन्द भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ जिस पर वहीं सील नमूना अंकित था जो मैनें नमूना लेते समय काम मे ली थी । एक आउटर कवर में बंद कर , नमूने का विवरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला का नाम व पता लिखकर श्री बाबूलाल पायक , च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक

प्रयोगशाला , अजमेर एवं फार्म नं. 06 की दो प्रतियां एक लिफाफे में बंद कर भिजवाई गई।

खाद्य विश्लेषक , खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S. 129/FSSA/2013/130 दिनांक 01.04.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्तें जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स – 460 घी (ब्राण्ड अमूल) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री रूपलाल पुत्र गंगाराम कुमावत मालिक/विक्रेता फर्म – मैसर्स कुमावत ब्रदर्स, गांधी बाजार, आसीन्द जिला भीलवाडा , स्थाई पता – ग्राम नई पडासोली, पोस्ट पडासोली, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा द्वारा मिसब्राण्डेड घी (ब्राण्ड अमूल) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 26.08.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 10.10.2013 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि Add. Of Mfd. **By MOTHER DAIRY, (A UNIT OF GCMMF LTD), PO BHAT 382428, INDIA FSSAI License No. 10012021000251 Nutritional claim A rich Source of Vitamin A,D,E &K BUT THE AMOUNT PER 100ml OF VITAMIN A IS GIVEN ONLY SO COMPLETE INFORMAION NOT GIVEN VIOLATION OF REGULATION 2.2.2.3 (iii) & (iv) of the food safty and standards** (packaging & labelling) Regulatiojn, 2011 का उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड घी (ब्राण्ड अमूल) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते

हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । **खाद्य विश्लेषक , खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S. 129/FSSA/2013/130 दिनांक 01.04.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स – 460 घी (ब्राण्ड अमूल) मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि Add. Of Mfd. By MOTHER DAIRY, (A UNIT OF GCMMF LTD), PO BHAT 382428, INDIA FSSAI License No. 10012021000251 Nutritional claim A rich Source of Vitamin A,D,E &K BUT THE AMOUNT PER 100ml OF VITAMIN A IS GIVEN ONLY SO COMPLETE INFORMAION NOT GIVEN VIOLATION OF REGULATION 2.2.2.3 (iii) & (iv) of the food safty and standards (packaging & labelling) Regulatiojn, 2011 का विपक्षीगण द्वारा उल्लघंन कर मिसब्राण्डेड घी (ब्राण्ड अमूल) का विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 01 से 03 द्वारा पैक अवस्था में खाद्य पदार्थ का क्रय कर , पैक अवस्था में ही खाद्य पदार्थ का विक्रय किया है एवं साक्ष्य स्वरूप कय बिल की प्रतियां प्रस्तुत की है । अतः विपक्षी सं. 01 से 03 पर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित नही की जाती है । विपक्षी सं. 04 से 07 द्वारा मिसब्राण्डेड घी (ब्राण्ड अमूल) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है , जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनिमय 2011 के प्रावधानों का उल्लघंन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी सं. 04 से लगायत 07 को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 04 पर 20,000/–रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये), विपक्षी सं. 05 पर 20,000/–रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये), विपक्षी सं. 06 पर 20,000/–रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये), विपक्षी सं. 07 पर 20,000/–रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 04 से लगायत 07 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/12/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा

3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा

4. श्री रूपलाल पुत्र गंगाराम कुमावत मालिक/विक्रेता फर्म – मैसर्स कुमावत ब्रदर्स, गांधी बाजार, आसीन्द जिला भीलवाडा , स्थाई पता – ग्राम नई पडासोली, पोस्ट पडासोली, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

5. श्री अशोक कुमार पुत्र डालचन्द मेवाडा मालिक मैसर्स – शिव मेवाड़ा ट्रेडर्स , ब्यावर रोड़, चूंगी नाका, आसीन्द , स्थाई पता – ब्यावर रोड, चूंगी नाका, आसीन्द

6. श्री विनय कुमार पुत्र त्रिलोक चन्द मालिक मैसर्स – विनायक मार्केटिंग , 3 एम.पी. छाजेड़ मार्केट, ब्यावर , स्थाई पता – 98 मालियाना हताई श्रंगार चंवरी, वार्ड नम्बर 13, ब्यावर जिला भीलवाडा

7. श्री संतोष कुमार पुत्र काली कुमार झां नोमिनी मैसर्स – Gujrat Co – operative Milk Marketing Federation Limited, (Udaipur Dipo) Plot No. 5-6, Roshan ji ki Bari, Sant Treasa School Road , Sector No. 12, Udaipur – 301002 , स्थाई पता – Professor Colony, Power House Road, Begusarai (BR) को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

8. मैसर्स – Gujrat Co – operative Milk Marketing Federation Limited, (Udaipur Dipo) Plot No. 5-6, Roshan ji ki Bari, Sant Treasa School Road , Sector No. 12, Udaipur – 301002 को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

9. नरेश कुमार पुत्र चन्दू लाल शाह नोमिनी मैसर्स M/s Mother Dairy, (A Unit of Gujrat Co – operative Milk Marketing Federation Limited) Plot No. 35, Near Indira Bridge, Village Bhat, Dist. Gandhinagar – 382428 स्थाई पता – A/202, Abhishek Apartment Nava Vadaj, Ahamedabad 380013 को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

10. फर्म – M/s Mother Dairy, (A Unit of Gujrat Co – operative Milk Marketing Federation Limited) Plot No. 35, Near Indira Bridge, Village Bhat, Dist. Gandhinagar – 382428 को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

28/11/17

(एल0आर0गुगरवाल)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा